रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272242
CG-DL-E-06052026-272242

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2106] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948
No. 2106] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2026

का.आ. 2193(अ).— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा, 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, प्रचालित करने और विस्तार के जरिये) आदेश, 2026' में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामत:—

1. (1) इस आदेश को प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइनों और अन्य सुविधाओं को बिछाने, प्रचालित करने और विस्तार करने के जरिये) संशोधन आदेश, 2026 कहा जा सकता है।

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. उक्त आदेश में, खंड 2 के उप-खंड (घ) में, "उप-खंड (15)" के संदर्भ को "उप-खंड (14)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त आदेश में, खंड 2 के उप-खंड (ङ) में, "उप-खंड (15)" के संदर्भ को "उप-खंड (14)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त आदेश में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड (1-क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"पोर्टल" का अर्थ ऑनलाइन वेबसाइट जिसे केंद्र सरकार द्वारा आवेदनों को जमा करने, और राइट ऑफ़ वे या राइट ऑफ़ यूज़ प्रदान करने अथवा इस आदेश में निर्धारित किसी भी अनुमति को देने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

5. उक्त आदेश में, खंड 2 के अंतर्गत, उप-खंड (ड) के पैराग्राफ (v) में, "जिला प्रशासन" के बाद और "ग्राम प्रशासन" से पहले निम्नलिखित वाक्यांश अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"ग्राम सभा, पंचायतें, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र,"

6. उक्त आदेश में, खंड 2 के उपखंड (थ) के अंतर्गत, "नगर परिषदों" के पश्चात् और "विकास प्राधिकरणों" के पूर्व निम्नलिखित वाक्यांश अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:

"नगर पंचायतें,"

7. उक्त आदेश में, खंड 2 के उप-खंड (थ) में, वाक्यांश "जिनके पास सार्वजनिक भूमि या सड़कें हैं" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"अथवा किसी भी प्रकार के शहरी क्षेत्र या संक्रमणकालीन क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र (जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं) या औद्योगिक टाउनशिप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र या सड़क के उपयोग पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली कोई अन्य सार्वजनिक इकाई"

8. उक्त आदेश के खंड 3 में, उप-खंड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड (6) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) केंद्र सरकार एक पोर्टल विकसित और विनिर्दिष्ट कर सकती है, और जिस तारीख से ऐसा पोर्टल निर्दिष्ट किया जाता है, उस तारीख से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और आवश्यक 'राइट ऑफ़ वे' या 'राइट ऑफ़ यूज़' या अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया, ऐसे पोर्टल के माध्यम से ही होगी। बशर्ते कि जब तक कोई पोर्टल विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, तब तक ऐसे 'राइट ऑफ़ वे' या 'राइट ऑफ़ यूज़' या अनुमति प्राप्त करने के लिए, संबंधित लागू प्रक्रिया का ही अनुपालन किया जाएगा।"

9. उक्त आदेश में, खंड 4 के उप-खंड (10) में, "उप-खंड (2)" के संदर्भ को "उप-खंड (3)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. उक्त आदेश में, खंड 4 के अंतर्गत, एक नया उप-खंड (17क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

(17क) कोई प्राधिकृत इकाई, जो किसी शहरी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी सार्वजनिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, संचालन करने या विस्तार करने का काम कर रही है, उसे संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा यह निर्देश दिया जाएगा कि वह अपना काम केवल 'खोदो और पुनर्स्थापित' के आधार पर ही करे; और ऐसी प्राधिकृत इकाई, संबंधित सार्वजनिक इकाई को दूसरी अनुसूची के भाग III के अनुसार एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करेगी।

11. उक्त आदेश में, खण्ड 6 के अन्तर्गत, उप-खण्ड (1) में, वाक्यांश "परस्पर सहमत विचार" के पश्चात् तथा वाक्यांश "प्राधिकृत इकाई को … अनुमति देने के लिए" से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

", जिसकी गणना दूसरी अनुसूची के भाग-IV के अनुसार की जाएगी,"

12. उक्त आदेश में, खण्ड 6 के अन्तर्गत, उप-खण्ड (1) में, वाक्यांश " व्यवहार्यता का आकलन करने " के पश्चात् तथा वाक्यांश " के उद्देश्य से आवश्यक " से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"और तत्पश्चात् बिछाने "

13. उक्त आदेश में, प्रथम अनुसूची के भाग I में, मद (3) में, क्रम संख्या 1 पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

", अथवा संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट राशि, इनमें से जो भी कम हो""

14. उक्त आदेश में, प्रथम अनुसूची के भाग II में, मद (2) में, क्रम संख्या 5 पर, "अधिक" शब्द के स्थान पर "कम" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

15. उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, 'दूसरी अनुसूची' शीर्षक के नीचे वाली पंक्ति में, "4(14)" के संदर्भ को "4(13)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के भाग I में, मद (2) में, क्रम संख्या 1 पर, "4(14)" के संदर्भ को "4(13)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के भाग II में, कॉलम (3) में, क्रम संख्या 1 पर, एक नया बिंदु (ग) अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात्:

"(ग) यदि प्राधिकृत इकाई द्वारा क्षैतिज दिशात्मक वेधन (एचडीडी) का उपयोग किया जाना हो, तो बिन्दु (क) और (ख) के अधीन प्रभारों के स्थान पर लागू प्रभार निम्नलिखित होंगे: (i) कंक्रीट सड़कों के संबंध में 6000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर; तथा (ii) बिटुमिनस सड़क के लिए 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर।"

18. उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के भाग III में, कॉलम (2) में, क्रम संख्या 1 पर, "खंड 4(17)" के बाद और वाक्यांश "या खंड 5(10)" से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

", खंड 4(17क)"

19. उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के भाग-III के पश्चात् तथा भाग-IV से पहले, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"इस दूसरी अनुसूची के भाग-I, भाग-II या भाग-III के अधीन उपबंधित प्रभारों और बैंक गारंटी की राशि के होते हुए भी, यदि संबंधित सार्वजनिक इकाई इस दूसरी अनुसूची के संबंधित भाग में कथित राशि से कम राशि विनिर्दिष्ट करती है, तो ऐसी कम राशि लागू होगी।"

20.उक्त आदेश में, दूसरी अनुसूची के भाग-IV में, स्तम्भ (2) में क्रम संख्या 1 पर, वाक्यांश "खंड 6(8) के अन्तर्गत" के पश्चात् तथा वाक्यांश "गैर-सार्वजनिक इकाई " से पहले, "या" अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. L-16016/6/2026-GP-I (Part-2)]

विकास सिंह, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2026

S.O. 2193(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Order, 2026, namely:—

1. (1) This Order may be called the Natural Gas and Petroleum Products Distribution (Through Laying, Building, Operation and Expansion of Pipelines and Other Facilities) Amendment Order, 2026.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the said order, under clause 2, in sub-clause (d), the reference to "sub-clause (15)" shall be substituted with "sub-clause (14)".
3. In the said order, under clause 2, in sub-clause (e), the reference to "sub-clause (15)" shall be substituted with "sub-clause (14)".
4. In the said order, under clause 2, after sub-clause (l), the following sub-clause (l-a) shall be inserted namely:

"portal" means the online website to be specified by the Central Government for submission of applications, and grant of right of way or right of use or any permissions provided for in this order";

5. In the said order, under clause 2, in paragraph (v) of sub-clause (m), the following phrases shall be inserted after "district administration" and before "village administration", namely:

"gram sabha, panchayats, administrations of union territories, scheduled areas, tribal areas,"

6. In the said order, under clause 2, in sub-clause (q) the following phrases shall be inserted after "municipal councils" and before "development authorities", namely:

"nagar panchayats,"

7. In the said order, under clause 2, in sub-clause (q) the phrase "that own public lands or roads" shall be substituted, namely:

"or any other public entity having jurisdiction over use of any public area or roads in any type of urban area or transitional area or industrial area (including special economic zones) or industrial township"

8. In the said order under Clause 3, after sub-clause (5) the following sub-clause (6) shall be inserted, namely:

"(6) The Central Government may develop and specify a portal and from the date such portal is specified, the process of submission of application and the grant of the required right of way or right of use or permission shall be through such portal. *Provided that* till such time that a portal is specified, the relevant applicable procedure for obtaining such right of way or right of use or permission shall be followed."

9. In the said order, under clause 4, in sub-clause (10), the reference to "sub-clause (2)" shall be substituted with "sub-clause (3)".
10. In the said order, under clause 4, a new sub-clause (17A) shall be inserted, namely:

    (17A) An authorised entity undertaking laying, building, operating or expanding a CGD network in a public area outside the jurisdiction of an urban authority, shall be required by the relevant public entity to undertake its works only on dig and restore basis and such authorised entity shall provide to the relevant public entity a performance bank guarantee in accordance with Part III of the Second Schedule.

11. In the said order, under clause 6, in sub-clause (1) after the phrase "mutually agreed consideration" and before the phrase "for permitting", the following be inserted, namely:

", calculated as per Part IV of the Second Schedule,"

12. In the said order, under clause 6, in sub-clause (1) after the phrase "assessing the feasibility of" and before the phrase "laying overground pipeline", the following be inserted, namely:

"and then"

13. In the said order, in Part I of the First Schedule, in Column (3) at Sl. No. 1, the following shall be inserted, namely:

", or such amount as may be specified by the relevant public entity, whichever is lower"

14. In the said order, in Part II of the First Schedule, in Column (2) at Sl. No. 5, the word "more" shall be substituted with "less".

15. In the said order, in the Second Schedule, in the line under the heading 'Second Schedule', the reference to "4(14)" shall be substituted with "4(13)".

16. In the said order, in Part I of the Second Schedule, in Column (2) at Sl. No. 1, the reference to "4(14)" shall be substituted with "4(13)".

17. In the said order, in Part II of the Second Schedule, in Column (3) at Sl. No. 1, a new point (c) is inserted, namely:

"(c) in the event Horizontal Directional Drilling (HDD) is to be used by the authorised entity, then instead of the charges under point (a) and (b), the charges applicable shall be: (i) Rs. 6000/- per square meter in respect of concrete roads; and (ii) Rs. 4500/- per square meter for bituminous road."

18. In the said order, in Part III of the Second Schedule, in Column (2), at Sl. No. 1, the following shall be inserted after "clause 4(17)" and before the phrase "or clause 5(10)", namely:

", clause 4(17A)"

19. In the said order, after Part III of the Second Schedule, and before Part IV of the Second Schedule, the following shall be inserted, namely:

"Notwithstanding the charges and the amount of bank guarantee provided under Part I, Part II, or Part III of this Second Schedule, if the relevant public entity specifies an amount lower than the amount stated in the relevant part of this Second Schedule, then such lower amount shall be applicable."

20. In the said order, in Part IV of the Second Schedule, in Column (2) at Sl. No.1 after the phrase "or individual" and before the phrase "under clause 6(8)" the following shall be inserted, namely:

", or"

[F. No. L-16016/6/2026-GP-I (Part-2)]

VIKAS SINGH, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA

Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.06 09:58:19 +05'30'